

**पत्रांक-श्रम कंस०-35/2025(अंश क)-789**  
**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति**  
**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 4,00,000 /- (चार लाख रुपए) अर्थात कुल राशि रु० 4,00,000 /- (चार लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

02 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि        | आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आवार सं०, | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक                   | पता/ मोबाईल नं०                                                                     | आश्रित का बैंक खाता संख्या   | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी        | स्वीकृत अनुदान की राशि                 | मृत्यु/ निःशक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2                                                       | 3                                      | 4                                                | 5                                                                                   | 6                            | 7                                         | 8                                      | 9                                           |
| 1       | स्व० राम ईश्वर साह, 61, बासुदेव साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | प्रतिमा देवी (पत्नी)                   | 2936<br>13.08.<br>2025<br>578,<br>26.02.<br>2026 | ग्राम+पो0-हरदी, थाना-कथैया, प्र0-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर 8809836071                | 10002<br>51030<br>05142<br>3 | UBGB,<br>PUNB<br>OMBG<br>B06              | रु०<br>2,00,000<br>/-<br>(दो लाख रुपए) | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य       |
| 2       | स्व० मो० नूर मोहमद, 33, बिजली मोहमद, अति पिछड़ा वर्ग    | फातमा खातुन (पत्नी)                    | 3373<br>06.10.<br>2025<br>578,<br>26.02.<br>2026 | ग्राम-दरिया छपरा, पो०-विशुनपुरपट्टी, थाना+प्र०-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर 7061002801 | 17081<br>01017<br>771        | CANA<br>RA<br>BANK<br>CNRB<br>00017<br>08 | रु०<br>2,00,000<br>/-<br>(दो लाख रुपए) | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य       |

**कुल रु० 4,00,000/-**  
**(चार लाख रुपए मात्र)**

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक- 1497, दिनांक- 24.11.2025 के क्रमांक-2 एवं 45 रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-  
 (रोहित कुमार),  
 मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
 (राजेश भारती),  
 कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम कंस०-35/2025(अंश क)-789

पटना, दिनांक :- १९/११/२०२५

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में

१

स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल:-** **रु० 4,00,000 /- (चार लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

16/06/2026  
Signed by Rohit Kumar

Date: 16-06-2026 14:31:03  
(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardwaj

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक